

भारत सरकार Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग Department of Atomic Energy
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र Raja Ramanna Centre for Advanced Technology
कर्मचारी सम्पर्क एवं कल्याण अनुभाग Staff Relation & Welfare Section

डाकघर PO : CAT केट,
इंदौर Indore-452013

दिनांक:07.01.2026

सन्दर्भ सं.: बी/एस.आर.डब्लू.एस./001/2026/11

परिपत्र CIRCULAR

विषय: अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के सम्बन्ध में वर्ष 2026 हेतु घोषणा सम्बन्धी।

Subject: Declaration in respect of Contributory Health Service Scheme facility for the year 2026- reg.

1. यह आरआरकेट के दिनांक 26.12.2025 के परिपत्र सं.: बी/एस.आर.डब्लू.एस./001/2025/1024 के अधिक्रमण में जारी किया जाता है।

This is in supersession of earlier RRCAT Circular No. B/SRWS/001/2025/1024 dated 26.12.2025.

2. परमाणु ऊर्जा विभाग के दिनांक 22.01.1998 के कार्यालय ज्ञापन सं. 7/55/94/CHSS/IR&W/37 के पैरा 4.2.1 तथा 4.2.2 के अनुसार परमाणु ऊर्जा विभाग की अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना (अं.स्वा.से.यो.) के प्रत्येक कर्मचारी/सेवानिवृत्त कर्मचारी सदस्य को अपने परिवार के सदस्यों की अं.स्वा.से.यो. सुविधा लगातार जारी रखने के उद्देश्य से प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के आरम्भ में निर्धारित प्रपत्र में आय एवं निवास सम्बन्धी घोषणा भर कर सहायक कार्मिक अधिकारी (क.सं.क.अ.) को प्रस्तुत करनी होगी।

In accordance with Para 4.2.1 and 4.2.2 of the Department of Atomic Energy OM No.7/55/94/CHSS/IR&W/37 dated 22.10.1998, every employee/retired employee who is a member of DAE Contributory Health Service Scheme (CHSS) has to make a declaration in the prescribed format and submit the same to Assistant Personnel Officer (SRWS) at the beginning of every calendar year for the purpose of continuation of CHSS facilities for members of their family.

3. ऐसे कर्मचारी/सेवानिवृत्त कर्मचारी जिन्होंने अपने आश्रित माता-पिता/सास-ससुर (महिला कर्मचारी के मामले में) तथा 18 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के नाम अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना में पंजीकृत करवा रखे हैं, उन्हें अपने घोषणा-पत्र (संलग्न) में इसका उल्लेख करना होगा तथा इसके साथ संबंधित दस्तावेज़ जैसे कि नवीनतम आयकर विवरणी पावती (latest Income Tax Return Acknowledgement) / कॉलेज द्वारा जारी पहचान पत्र / फीस की रसीद भी सहायक कार्मिक अधिकारी (क.सं.क.अ.) को उनके अं.स्वा.से.यो. कार्ड के पुनर्वैधीकरण हेतु प्रस्तुत करनी होगी। घोषणा-पत्र का प्रपत्र आरआरकेट के इन्फोनेट (अंग्रेजी अनुवाद में दिए गए लिंक पर) पर भी उपलब्ध है।

Such employee/retired employee who have registered their dependent parents/ parents-in-law (in case of female employee) and children above 18 years of age under Contributory Health Service Scheme are required to fill in the **Declaration Form (enclosed) and submit it alongwith the copy of relevant documentary proof such as latest Income Tax Return Acknowledgement/ College ID Card/ Fee Receipt** to Assistant Personnel Officer (SRWS) for revalidation of their CHSS cards. Declaration Form is also available on RRCAT Infonet > Forms > CHSS > Declaration in respect of CHSS beneficiaries.

4. अं.स्वा.से.यो. कार्ड के पुनर्वैधीकरण से संबंधित कार्य कर्मचारी सम्पर्क एवं कल्याण अनुभाग में दिनांक 19.01.2026 से 30.01.2026 तक अपराह्न 02:30 बजे से 04:30 बजे तक निम्नलिखित सारिणी के अनुसार किया जाएगा:-

The work related to revalidation of CHSS Cards will be entertain in the Staff Relation & Welfare Section from 19.01.2026 to 30.01.2026 strictly between 02:30 PM to 04:30 PM as per the following schedule:-

संसंस C.C. No.	दिनांक Date	संसंस C.C. No.	दिनांक Date	संसंस C.C. No.	दिनांक Date
01 - 1200	19.01.2026 (Mon)	1201 - 1600	20.01.2026 (Tue)	1601 - 1800	21.01.2026 (Wed)
1801 - 2000	22.01.2026 (Thu)	2001 - 2300	23.01.2026 (Fri)	2301 - 2500	27.01.2026 (Tue)
2501 - 5257	28.01.2026 (Wed)	CISF officials	29.01.2026 (Thu)	All retirees*	30.01.2026 (Fri)

* सेवानिवृत्त कर्मचारी दिनांक 30.01.2026 को अपराह्न 02:30 बजे से 04:30 बजे तक अपने आश्रितों के अं.स्वा.से.यो. कार्ड का पुनर्वैधीकरण आरआरकेट चिकित्सा केन्द्र में करवा सकते हैं।
Retired employees may get their dependent's CHSS Card revalidated on 30.01.2026 from 02:30 PM to 04:30 PM at RRCAT Medical Centre.

5. कर्मचारियों/सेवानिवृत्त कर्मचारियों से यह भी निवेदन है कि यदि उनके पुत्र/पुत्री, माता-पिता/सास-ससुर (महिला कर्मचारी के मामले में) और अन्य आश्रित, जो चिकित्सीय लाभों के लिए अपात्र हो चुके हैं, वे उनका अं.स्वा.से.यो. कार्ड अभिलम्ब जमा कर अं.स्वा.से.यो. से उनका नाम हटवा लें।

The employees/retired employees are also requested to surrender CHSS cards in respect of their sons/daughters, parents /parents-in-laws (in case of female employee) and other dependents, if they have become ineligible for the medical facility of the Scheme and get their names deleted from the CHS Scheme.

6. कृपया अं.स्वा.से.यो. के कार्ड को पुनर्वैधीकरण हेतु उपर्युक्त समय-सारणी के अनुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

Please ensure to adhere the timeline for the revalidation of CHSS Cards.

संलग्नक: यथोपरि
Enclosure: As above

परिवेश जीनवाल
7/1/2026

(परिवेश जीनवाल Parivesh Jinwal)
प्रशासनिक अधिकारी-III Administrative Officer-III

मेल-ऑल के माध्यम से Through Mail-all

प्रतिलिपि Copy to:

1. निदेशक, आरआरकेट का कार्यालय

Office of Director, RRCAT

2. प्रमुख, कंप्यूटर विभाग- अनुरोध है कि इसे आरआरकेट की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाए।

Head, Computer Division with a request to display on RRCAT Website.

भारत सरकार Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग Department of Atomic Energy
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र Raja Ramanna Centre for Advanced Technology
(अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना Contributory Health Service Scheme)

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के लाभार्थी के संबंध में घोषणा Declaration in respect of CHSS Beneficiaries
वर्ष Year_____

नाम Name	पदनाम Designation	संगणक संकेत सं. Comp. Code No.	प्रभाग Division	मूल वेतन Basic Pay	सेवानिवृत्ति की तारीख Date of Retirement

सी.एच.एस.एस. सं. CHSS No.	ऑफिस नं. OfficeNo.	मोबाईल नं. Mobile No.	ईमेल आईडी Email ID

A.(a) माता / पिता का विवरण
Particulars of Parents

नाम Name	जन्म दिनांक Date of Birth	व्यवसाय Occupation	मासिक आय Monthly Income

A.(b) सास / ससुर का विवरण (महिला कर्मचारी के संबंध में)
Particulars of Parents-in-law (in case of female employee)

नाम Name	जन्म दिनांक Date of Birth	व्यवसाय Occupation	मासिक आय Monthly Income

B. 18 वर्ष तक या इससे अधिक आयु के पुत्र / पुत्रियों का विवरण
Particulars of Sons / Daughters of 18 years of age and above

नाम Name	जन्म दिनांक Date of Birth	व्यवसाय Occupation	मासिक आय Monthly Income

C. आश्रितों का विवरण
Particulars of Dependents

नाम Name	जन्म दिनांक Date of Birth	व्यवसाय Occupation	मासिक आय Monthly Income

में प्रमाणित करता / करती हूँ कि

I Certify that

(क) मेरे माता-पिता मेरे साथ रहते हैं तथा उनका नाम मेरे राशन कार्ड में शामिल है। वे मुख्यतः मुझ पर आधारित हैं।

My parents reside with me and are included in my Ration card. They are mainly dependent on me.

(ख) मेरे सास-ससुर (महिला कर्मचारी के संबंध में) मेरे साथ रहते हैं तथा उनका नाम मेरे राशन कार्ड में शामिल है। वे मुख्यतः मुझ पर आधारित हैं।

My parents-in-law (in case of female employee) reside with me and are included in my Ration card. They are mainly dependent on me.

(ग) उपर्युक्त वर्णित मेरे पुत्रों / पुत्रियाँ पूर्णतया मुझ पर आश्रित हैं तथा वे अर्थोपार्जन नहीं हैं।

My sons / daughters mentioned above are wholly dependent on me and they are not gainfully employed.

(घ) उपर्युक्त वर्णित मेरे आश्रित पूर्णतया मुझ पर आश्रित हैं। उनके नामों के पंजीकरण हेतु अं.स्वा.से.यो. समिति को दी गई सूचना पूर्ववत् है। उनके नाम भी मेरे राशन कार्ड में शामिल है। वे मेरे साथ रहते हैं।

My dependent mentioned above is entirely dependent on me, the information given for registration of his / her name remains the same. His / Her name is also included in my Ration card. He / She resides with me.

(ङ) अं.स्वा.से.यो. के अंतर्गत पंजीकृत मेरे माता-पिता / सास-ससुर (महिला कर्मचारी के संबंध में) / 18 वर्ष तक तथा इससे अधिक आयु के पुत्र / पुत्री किसी प्रकार के आर्थिक उपदान / भत्ता, चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं करते हैं तथा प.ऊ.वि. / अं.स्वा.से.यो. के अलावा किसी अन्य स्रोत से चिकित्सा सहायता / लाभ / नकद राशि के लिए पात्र नहीं हैं।

My parents / parents-in-law (in case of female employee) / sons / daughters of 18 years of age and above and dependent registered under CHSS do not receive any cash subsidy / allowance, reimbursement of medical expenses and are not eligible for medical aid / benefit / cash coverage from sources other than the DAE/CHSS

(च) प.ऊ.वि. द्वारा जारी दिनांक 22 जनवरी 1998 के प.ऊ.वि.7/55/94/अं.स्वा.से.यो./औअ&का/37 के संबंधित खण्डों को मैंने पढ़ तथा समझ लिया है। यदि अं.स्वा.से.यो. में मेरे द्वारा पंजीकृत कोई लाभार्थी अं.स्वा.से.यो. के लिए पात्र नहीं रहता / रहती है तो मैं अं.स्वा.से.यो. को इसकी सूचना तत्काल दूँगा / दूँगी।

I have read and understood relevant clauses of 7/55/94/CHSS/IR&W/37 dated January 22, 1998 issued by DAE and shall notify CHSS promptly if any beneficiary registered by me in CHSS becomes ineligible for CHSS.

कर्मचारी के हस्ताक्षर Signature of the employee _____

अनुभाग Section _____

दिनांक Date _____

मार्गदर्शक बातें Notes for Guidance

1. अधूरे फार्म लौटा दिए जाएँगे।

Incomplete Form will be returned.

2. **माता-पिता/ सास-ससुर (महिला कर्मचारी के संबंध में):** अं.स्वा.से.यो. के अंतर्गत पंजीकरण हेतु परिवार के सदस्य के रूप में सौतेले माता-पिता पात्र नहीं है।

माता-पिता में से केवल एक ही अं.स्वा.से.यो. के अंतर्गत पंजीकृत होने के बावजूद, तालिका-बी के अंतर्गत दोनों का विवरण प्रस्तुत करें। यदि माता-पिता की कुल आय सरकारी कर्चारी के वेतन तथा मंहगाई भत्ता (जहाँ लागू होता है) से अधिक नहीं है तथा माता-पिता दोनों की अधिकतम आय ₹9000/- प्रति माह से अधिक नहीं है तो ऐसे माता-पिता संबंधित कर्मचारी पर मुख्यतः आश्रित माने जाएँगे। कर्मचारी के माता-पिता को अं.स्वा.से.यो. के अंतर्गत सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए कर्मचारी के साथ रहना होगा तथा इस तथ्य की सक्षम प्राधिकारी के संतुष्टि के अनुरूप साबित करने की जिम्मेदारी कर्मचारी की होगी।

Parents/ Parents-in-law (in case of female employee): Step-Parents are not eligible to be registered in CHSS as member of family. The particulars of both the parents should be given under Table-B even if only one of them is registered under the CHSS. One natural and another adoptive parents can not be registered at the same time under CHSS. If the total income of the parents does not exceed the pay plus dearness pay (where applicable) of the Government employee, subject to the maximum income of parents (both father and mother) being Rs.9000/- per month such parents may be treated as mainly dependent on the Government employee concerned. Parents of the employees should for purpose of admission to CHSS reside with the employee and it is up to the employee to establish this fact to the satisfaction of Competent Authority.

3. **संतान:** लाभकारी अर्थोपार्जन करने वाले 18 वर्ष तक तथा इससे अधिक आयु के पुत्र / पुत्री अं.स्वा.से.यो. के अंतर्गत सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है। यदि सरकारी कर्मचारी पर आश्रित पुत्री शादीशुदा, तलाकशुदा (या कानूनी रूप से अलग) है तो वे अं.स्वा.से.यो. के अंतर्गत सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगी। जिन कर्मचारी के पुत्र / पुत्री लाभकारी अर्थोपार्जन कर रहे हैं तथा यदि अं.स्वा.से.यो. के अंतर्गत सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए उन्हें पंजीकृत किया गया है तो वे उनके अं.स्वा.से.यो. कार्ड सहायक कार्मिक अधिकारी (एस.आर.डब्ल्यू.) को तत्काल लौटा दें तथा अं.स्वा.से.यो. लाभार्थी की सूची में से नाम हटवा दें।

Children:- Gainfully employed sons / daughters of 18 years of age and above are not eligible for CHSS benefits. Married, widowed, divorced (or legally separated) daughters of government employees even though dependent on the employee are not eligible for CHSS benefits. In case of a adopted children, only legally adopted sons / daughters will be eligible for the benefits of the CHSS. Employees should promptly return CHSS card to Assistant Personnel Officer (SRW) of sons / daughters who are gainfully employees and seek their deletion from the list of CHSS beneficiaries, if they already registered for the benefits of CHSS.

4. **आश्रित:** अं.स्वा.से.यो. लाभों के लिए जिन कर्मचारियों ने अपने आश्रितों के पंजीकरण के लिए आवेदन किया है तथा जिनके नाम अं.स्वा.से.यो. समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के बाद ही पंजीकृत होंगे, वे भी फार्म के संबंधित भाग भरें।

Dependents: Employees who have offered for registration of their dependents for CHSS benefits should also complete the relevant portion of the form though their name were registered after appearing before the CHSS committee.